राजस्व वाद संख्याः—89 / 2020
जुगलाल बनाम महावीर वगै0
निर्णय दिनांकः— 20.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन देवी ।।(आर.ए.एस.)

मु0नं0 89 / 2020

01. जुगलाल पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

— आवेदक

बनाम

01. महावीर पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
02. सत्यवीर पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
03. कुनणी देवी पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
04. सुरेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
05. राकेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
06. मुकेश कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
07. सुमित्रा पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
08. अजीत पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं
09. सुनिल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी बडसरी का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं
10. नन्द किशोरी पतनी सहीराम जाति जाट निवासी बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं
11. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं
12. राजस्थान सरकार (भूमिघारी) तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि तहसील सूरजगढ की ग्राम बडसरी का बास में भूमि खसरा नं. 29 रकबा 1.70 है० आवेदक की खुद काश्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें आवेदक ने नजरी नक्शा दर्शाया (क) स्थान पर अपना पुख्ता कुआं व रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है।

यह कि आवेदक ग्राम बड़सरी का बास तहसील सूरजगढ उपखण्ड सूरजगढ में भूमि खसरा नं. 29 रकबा 1.70 है० भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में आवेदक ने अपना पुख्ता पट्टेसुदा रिहायशी मकानात बनाकर आबाद है जिसमें आवेदक को उंट गाडी, मवेशी, ट्रैक्टर व अन्य वाहन लाने ले जाने के लिये अनावेदक 1 लगायत 10 के खसरा नं. 28 रकबा 2.66 हेक्टर भूमि में से उक्त भूमि की उत्तर से दक्षिण सीमा से 12 फुट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा के अनुसार भूमि खसरा नं. 29 में आने के लिये चाहता है। इसलिये आवेदक अधिकृती अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251 ए की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन करता है।

यह कि आवेदक के खेत व रिहायशी मकान में जाने बाबत कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदक के खेत व रिहायशी मकानों में जाने बाबत अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 के खेत खसरा नं. 29 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे जाने वाला कटानी रास्ता से नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू ए से बी तक का रास्ता खसरा नं. 29 के मध्य से उत्तरी से दक्षिण की ओर अपने खेत खसरा नं. 28 के लिये चाहता है उक्त जगह उक्त रास्ते से निकटतम जगह है व आवेदक नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते के अनुसार ही वर्तमान में आना—जाना कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:–89 / 2020
जुगलाल बनाम महावीर वगै0
निर्णय दिनांक:– 20.06.2025

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक खेत खसरा नं. 29 में बने मकानात व विद्युत चालित कुएँ में आने जाने बाबत वाहन, उंट गाड़ा, ट्रैक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत खसरा नं. 28 रकबा 2.66 हैकटर के मध्य से उत्तर से दक्षिण सीमा की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नं. 29 में जाने के लिये नजरी नक्शा अनुसार रास्ता घोषित किया जावे व तहसीलदार सूरजगढ को उक्त रास्ता राजस्व रिकोर्ड राजस्व में अमल दरामद दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व/2021/26 दिनांक 06.04.2021 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व/2021/26 दिनांक 06.04.2021 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 29 मौजा बडसरी का बास में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 28 अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 116 मीटर चौडाई 03 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व/2021/26 दिनांक 06.04.2021 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्शित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 29 मौजा बडसरी का बास में आने जाने के लिए नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 28 अप्रार्थीगण की भूमि में से नक्शे मे लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 116 मीटर चौडाई 03 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ